

अवर सचिव
UNDER SECRETARY



उप राष्ट्रपति सचिवालय
VICE PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX : 23016124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/133/2013-14

26 मार्च, 2014

श्री चन्द्र प्रकाश
माननीय मुख्य मंत्री के
निजी सचिव एवं जनसूचना अधिकारी,
~~मुख्य सचिव,~~
मुख्य सचिव कार्यालय लखनऊ,
उत्तर प्रदेश शासन।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

संलग्न पत्र श्री प्रभात कुमार रस्तोगी पुत्र स्व. चुन्नीलाल रस्तोगी नि. महेश्वरी मार्केट, जी टी रोड खागा थाना खागा जिला फतेहपुर, उ. प्र. का दिनांक 15 मार्च 2014 को इस कार्यालय में दिनांक 25 मार्च 2014 को प्राप्त हुआ है जिसके साथ इन्होंने दस रूपये का पो.आ. संख्या 25एफ 100520 संलग्न कर अपने पूर्व आवेदनों पर कार्यवाही की जानकारी चाही है जोकि ध्यानाकर्षण हेतु मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को प्रेषित किए जाते रहे हैं (प्रति संलग्न) चूंकि पत्र की विषय वस्तु उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित है। अतः इनका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हस्तांतरित किया जा रहा है। कृपया कृत कार्यवाही से आवेदक तथा अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

यदि यह विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जो इस विषय के निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

(महिताब सिंह)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री प्रभात कुमार रस्तोगी पुत्र स्व. चुन्नीलाल रस्तोगी नि. महेश्वरी मार्केट, जी टी रोड खागा थाना खागा जिला फतेहपुर, उ. प्र. - कृपया अधिक जानकारी हेतु उपरोक्त केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी से संपर्क करें।

(महिताब सिंह)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

Narish
27/3/14

O/C

RIT Matter, Time bound

7-1-23

सेवा में,

दिनांक 15.03.14

माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी
भारत, नई दिल्ली

माननीय जनसूचना अधिकारी
उपराष्ट्रपति कार्यालय
भारत, नई दिल्ली।

विषय : जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने
के सम्बन्ध में :-

महोदय

विषय:


माननीय जी प्रार्थी ने आपके कार्यालय में दिनांक 31.01.2014 को एक शिकायती पत्र 4 बिन्दुओं के साथ रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया था! जिस पर एफ0आई0आर0 दर्ज करने की कार्यवाही हुयी नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के आदेशानुसार एफ0आई0आर0 दर्ज करना अति आवश्यक है। उस नियम का अनुपालन आपके द्वारा अति आवश्यक है।

अतः सभी बिन्दुओं पर प्रार्थी को बिन्दुवार सूचना प्रदान करने का कष्ट करें। इस कार्य हेतु भारतीय पोस्टल आर्डर सं0 25एफ 10520 रू0 10 का संलग्न कर दिया है।

नोट :-कृपया आप अपने स्तर से सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें अपने अधीनस्थ कर्मचारी को सूचना अन्तरित आपके द्वारा न किया जाय। अन्तरित की हुयी सूचना प्रार्थी के द्वारा अमान्य समझी जावेगी।

धन्यवाद!

प्रार्थी



(प्रभात कुमार रस्तोगी)

पुत्र स्व0 चुन्नीलाल रस्तोगी

नि0 महेश्वरी मार्केट, जी0टी0 रोड, खागा
थाना खागा, जिला फतेहपुर, उ0प्र0